



F-07-08

F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1265 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1265

विषय /Sub : डिस्प्ले प्रोसेसर, पार्ट सं. डीपी-03020103
Display Processor, Part No.: DP-03020103

यह घोषित किया जाता है कि रक्षा उड्डयानिकी अनुसंधान संस्थापन (डेयर), डीआरडीओ, सीवी रमन नगर, बेंगलूरु - 560 093 द्वारा अभिकल्पित एवंविकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एवियोनिक्स प्रभाग, बालानगर, हैदराबाद - 500 042 द्वारा उत्पादित, सू-30 मार्क वायुयान में प्रयुक्त "डिस्प्ले प्रोसेसर", पार्ट सं.: डीपी-03020103, को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1265, दिनांक 15 मई 2007 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 1265 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1265/1आर, दिनांक 22 अगस्त 2012 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2017 तक थी।

This is to certify that the "Display Processor" bearing the Part Number: DP-03020103, used on SU-30 MKI aircraft, designed and developed by Defence Avionics Research Establishment (DARE), DRDO, CV Raman Nagar, Bengaluru-560 093 and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Avionics Division, HAL P.O, Balanagar, Hyderabad - 500 042 was issued with Type Approval No.: 1265 vide Reference. No.: CEMILAC/5070/TA-1265, dated: 15th May 2007. Subsequently it was renewed vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1265/1R, 22nd August 2012 with its validity up to 30th June 2017.

2. प्रथम वर्ग अनुमोदन जारी करने के बाद, यह उत्पाद का निर्माण स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन फेसिलिटी (एस ई पी एफ) मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कासरगोड- 671 724, केरल में स्थानांतरित किया गया है जो मेसर्स एच ए एल, हैदराबाद प्रभाग का एक कार्य केंद्र है। आगे, उक्त मद के जो दूसरे जगह स्थापित हुई सुविधा अर्थात् एस ई पी एफ, कासरगोड, में लिमिटेड क्वालिफिकेशन टेस्टिंग (एल क्यू टी) संतोषजनक परीक्षण परिणामों के आधार पर आर सी एम ए हैदराबाद ने वर्ग अनुमोदन संदर्भ सं.: आर सी एम ए (हैदराबाद)/01-14, दिनांक 24 नवंबर 2017 द्वारा जारी संशोधन के अनुसार परिवर्तनों को सम्मिलित करने का अनुरोध किया।

After the issue of initial Type Approval, the production has been shifted to Strategic Electronics Production Facility (SEPF) M/s Hindustan Aeronautics Limited, Kasargod – 671 724 in Kerala, which is work center of M/s HAL – Hyderabad Division. Further, based on the satisfactory test results of Limited Qualification Testing (LQT) carried out on the subject item manufactured at the relocated facility, viz., SEPF Kasargod, the RCMA (Hyd) requested to incorporate the change as on amendment in the Type Approval vide Ref. No. RCMA (HYD)/ 01 – 14, dated: 24th November 2017.

उक्त वर्ग अनुमोदन सं.:1265 और उसके परिशिष्ट 'ए' में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The following Amendment is effected in the subject Type Approval Number: 1265 and its Appendix 'A'

Wherever / For	Read as
<i>M/s Hindustan Aeronautics Limited, Avionics Division, HAL P.O, Balanagar, Hyderabad – 500 042</i>	Strategic Electronics Production Facility (SEPF) M/s Hindustan Aeronautics Limited, Kasargod – 671 724 Kerala

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जून 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 मई 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(हैदराबाद), सेमिलैक, हैदराबाद – 500 042, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st June 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st May 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Hyderabad), CEMILAC, Hyderabad– 500 042, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

4. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1265, दिनांक 15 मई 2007 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1265, dated: 15th May 2007 is amended as stated herewith.

“[अगर टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलुरु – 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered and fully applicable.

संN / . o.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1265/2R

दिनांक / Date : 14 June 2018

फैक्ससं / .Fax No.: 080-2523 0856

H. J.

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)